



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19102020-222561
CG-MH-E-19102020-222561

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443]
No. 443]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 19 अक्टूबर, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध)

(दूसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/36.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 में,-

I. विनियम 4 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित *स्पष्टीकरण* अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“*स्पष्टीकरण*.- शंकाएँ दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी कंपनी [जिसकी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों] की आस्तियों (असेट्स) या उसकी आमदनी को कहीं और लगाने (का अन्यत्र उपयोग करने), का गलत इस्तेमाल (दुरुपयोग) करने या को बेईमानी से निकालने के लिए किए गए ऐसे किसी भी कार्य के बारे में अथवा ऐसे किसी कार्य को छिपाने के बारे में अथवा ऐसी किसी कंपनी की लेखा बहियों या वित्तीय विवरण में हेराफेरी करने के लिए रची गई ऐसी किसी साजिश (ऐसी किसी युक्ति), योजना (स्कीम) आदि [जिससे कि उस कंपनी की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की कीमत में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हेराफेरी हो] के बारे में यह समझा जाएगा और हमेशा यही समझा जाएगा कि प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में हेराफेरीयुक्त, कपटपूर्ण और अनुचित (अक्रजु) व्यापारिक व्यवहार (ट्रेड प्रैक्टिस) किया गया है।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./303/2020-21]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003, सं. का.आ. 816(अ), 17 जुलाई, 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 -
 - i. 23 अप्रैल, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2232/2007, द्वारा
 - ii. 11 दिसम्बर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/25/5455, द्वारा
 - iii. 6 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/22/22670, द्वारा
 - iv. 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/56, द्वारा
 - v. 13 मार्च, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/08, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th October , 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROHIBITION OF FRAUDULENT AND UNFAIR TRADE PRACTICES RELATING TO SECURITIES MARKET) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/36.—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Second Amendment) Regulations, 2020.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, –
 - I. In regulation 4, in sub-regulation (1), the following *Explanation* shall be inserted, namely: –

“*Explanation.*— For the removal of doubts, it is clarified that any act of diversion, misutilisation or siphoning off of assets or earnings of a company whose securities are listed or any concealment of such act or any device, scheme or artifice to manipulate the books of accounts or financial statement of such a company that would directly or indirectly manipulate the price of securities of that company shall be and shall always be deemed to have been considered as manipulative, fraudulent and an unfair trade practice in the securities market.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./303/2020-21]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 was published in the Gazette of India on July 17, 2003 vide No. S. O. 816(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 was amended -
 - i. on April 23, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Manner of Service of Summons and Notices Issued by the Board) (Amendment) Regulations, 2007 vide No. SEBI/LAD/DOP/2232/2007;
 - ii. on December 11, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/25/5455;
 - iii. on September 06, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/22/22670;
 - iv. on December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018 /56.
 - v. on March 13, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/08.